न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R-53-II-17

1– हरिदास साकेत
2– बामन दास साकेत
दोनों के पिता सुबुद्धलाल साकेत

3– शिवप्रसाद साकेत
4– गोविन्द साकेत
5– मंधारी साकेत
तीनों के पिता **बुद्धसेन साकेत**

6– शंखलाल बसोर पिता बूचड़ बसोर

7– मोतीलाल
8– सुदर्शन
9– हनुमत
तीनों के पिता शंखलाल बसोर

सभी निवासी ग्राम सरई तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

————**निगरानीकर्तागण**

बनाम्

1– कौशल प्रसाद तनय भगवतराम **ब्रा0**

2– ईश्वरी प्रसाद पिता बैजनाथ

3– तीरथ प्रसाद
4– दुर्गा प्रसाद
दोनों के पिता **बन्सीराम ब्रा0**

सभी निवासी साकिन सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0)

5– शासन म0प्र0

————**गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण**

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–3

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील सरई जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कमांक 66—अ/12/2014—15 आदेश दिनांक 24/06/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :—

यह कि आराजी नम्बर 2011/3/1 स्थित ग्राम **सरई** तहसील सरई जिला सिंगरौली का सीमांकन अनावेदक कमांक 01 के द्वारा कराया गया है जिसमें निगरानीकर्तागणों को आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि सीमांकित आराजी से लगी आराजी निगरानीकर्तागणों की है। धारा 129 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में उल्लेखित नियमों के अनुसार आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिया जाना आज्ञापक है। लेकिन अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा निगरानीकर्तागणों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। सीमांकन जो अनावेदकगण की आराजियों का किया गया है उक्त आराजियों में आवेदकगण/निगरानीकर्तागणों की सीमा से लगी हुई आराजियों को अनावेदक क0 1 के कब्जे दखल की भूमि उल्लेखित कर दिया है जबकि सत्यता यह है कि निगरानीकर्तागण अपने स्वत्व आधिपत्य की आराजी पर काबिज दखील है। उक्त प्रकरण में सीमांकन के साथ—साथ अधीनस्थ कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं पटवारी के द्वारा नक्शा तरमीम की भी कार्यवाही कर नक्शे में लाल स्याही से नक्शा तरमीम कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है और मौके के स्थिति के विपरीत है और सरहद्दी एवं हितबद्ध पक्षकार निगरानीकर्तागणो की गैरहाजिरी में नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है जो विधि विरूद्ध है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति **आदेश** पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-53-दो/2017 जिला सिंगरौली हरिदास **विरूद्ध** कौशल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक सरई के प्रकरण क्रमांक 66/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी सरई को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी सरई के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 6.3.19	